राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–एफ2/परि/RSBTDA/2015/ जयपुर, दिनांक :– 12/07/2019

आदेश

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को प्रशासनिक व्यय (वेतन आदि) की पूर्ति के लिए रुपये 30.00 लाख (अक्षरे रुपये तीस लाख मात्र) का ब्याज मुक्त ऋण राशि राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के पी.डी. खाते में अन्तरित करने की राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त राशि निम्नलिखित लेखा मद से आहरित की जायेगी :–

लेखा शीर्ष	राशि (लाखों में)
मांग सं. 12 7055 – सडक परिवहन के लिए कर्ज 00 – 190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (06) – राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण (00) – ऋण (राज्य निधि)	30.00
योग	30.00

(अक्षरे रुपये तीस लाख मात्र)

उक्त ब्याज मुक्त ऋण निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन होगा :–

1. उक्त ऋण का मोरेटोरियम पीरियड एक वर्ष की होगी।
2. एक वर्ष पश्चात् राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त ऋण की राशि का पुनर्भुगतान 7.50 लाख रुपये की 4 समान वार्षिक किश्तों में किया जायेगा।
3. ऋण राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिये ही किया जायेगा जिसके लिये उक्त ऋण स्वीकृत किया गया है।
4. प्राधिकरण द्वारा समय पर ऋण की किश्त नहीं चुकाने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से बकाया ऋण की किश्त की राशि पर शास्ति वसूल योग्य होगी।
5. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन के उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा अभी तक की गई प्रगति की समीक्षा उपरान्त इस प्राधिकरण की उपादेयता के संबंध में सक्षम प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. कमांक 101902805 दिनांक 25.06.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

-Sd-
(डॉ. पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

463 C:\Users\pc\Documents\letter vj.docx

Scanned by CamScanner